रजि० सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11, 1975/माघ 22, 1896

No. 32] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 1975/MAGHA 22, 1896

Cent... ...eriat Library

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th February 1975

SUBJECT.—*Terms and conditions governing the issuance of import licences financed under International Development Association Credit No. 474-IN (Industrial Imports).*

No. 11-ITC(PN)/75.—Attention is invited to Annexure II to Ministry of Commerce Public Notice No. 123-ITC(PN)/74 dated the 27th August, 1974.

2. The following may be deemed to have been added as Sl. No. 5C in Annexure II to the aforesaid Public Notice:—

Sl. No.	Name of the country
5C	Bahrain.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1975

विषय.—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण सं० 474 आई एन (औद्योगिक आयात) के अन्तर्गत अर्थयुक्त किए गए आयात लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली शर्तें।

सं० 11—आई० टी० सी० (पी० एन०)/75.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 123—आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 27 अगस्त, 1974 के लिए अनुबन्ध—2 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध—2 में क्रम सं० 5 ग पर निम्नलिखित को जोड़ा गया समझा जाए :—

क्रम सं०	देश का नाम
5 ग	बहरीन

SUBJECT.—*Import Policy for Newsprint-Printing and Writing paper (excluding laid marked paper) and water-lined newsprint which contains mechanical wood pulp amounting to not less than 70% of the fibre contents (S. No. 44/V)—for the year April 1974—March 1975.*

No. 12-ITC(PN)/75.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 79-ITC(PN)/74, dated the 7th June, 1974, on the subject mentioned above.

2. The following amendments shall be made in the aforesaid Public Notice:—

Reference	Details of amendments
Annexure I, Column 6, Remark No. V(c).	The existing Remark may be deemed to have been substituted by the following:— "V(c) In addition to above, daily newspapers, on application, will be allocated 7 per cent of their 1974-75 entitlement in newsprint."
Annexure I, Column 6, Remark No. VI.	(1) The existing Remark may be deemed to have been substituted by the following:— "VI. The entittlement of Newsprint will be met by issue of allotments in favour of newspapers/periodicals for imports through the State Trading Corporation of India Ltd., New Delhi, on high-sea sales basis (canalised imports) or authorisation(s) issued in favour of applicants in terms of Remark V above. The quantity to be allotted in imported and indigenous newsprint will be worked out by the Registrar of Newspapers for India according to availability, and on the merit of each case." (2) The existing provisions against "NB" and "Notes" appearing against this Remark will continue.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय.—अप्रैल 1974—मार्च, 1975 वर्ष के लिए अखबारी कागज, छपाई एव लिखाई के लिए कागज (निर्धारित चिह्नित को छोड़ कर) एवं वाटर लाइण्ड अखबारी कागज जिसमें फाइबर वस्तु (क्रम स० 44/5) के 70 प्रतिशत तक की यांत्रिक लकड़ी लुगदी शामिल है, की आयात नीति ।

सं० 12—आई० टी० सी० (पी० एन०)/75.—उपर्युक्त विषय पर, वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या :79—आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 7 जून, 1974 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. उक्त सार्वजनिक सूचना मे निम्नलिखित संशोधन किए जाएगे :—

संदर्भ	संशोधनो के ब्योरे
1	2
अनुबन्ध 1, कालम 6, टिप्पणी सख्या 5 (सी)	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "5(सी) उपर्युक्त के अतिरिक्त, आवेदन करने पर, दैनिक समाचार पत्रों को उनकी 1974–75 की अखबारी कागज की हकदारी का 7 प्रतिशत आबंटित किया जाएगा ।"
अनुबन्ध 1, कालम 6, टिप्पणी संख्या 6.	(1) वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित गया समझा जाए :— "6. आयातों के लिए अखबारी कागज की हकदारी की पूर्ति राज्य व्यापार निगम भारत लि०, नई दिल्ली के माध्यम से उच्च समुद्री बिक्री के आधार पर (सरणीबद्ध आयात) समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के हक में आबंटन जारी करके या उक्त टिप्पणी 5 के अनुसार आवेदकों के हक में जारी किए गए प्राधिकरण (णों) के आधार पर की जाएगी । आयातित एव देशी अखबारी कागज में से आवंटित की जाने वाली मात्रा का निश्चय, भारत के लिए पंजीयक, समाचार पत्र द्वारा उपलब्धता के अनुसार एवं प्रत्येक मामले में पात्रता के आधार पर किया जाएगा ।" (2) इस टिप्पणी के सामने दिखाई गई "कृपया ध्यान दें" एवं "टिप्पणियो" के सामने की वर्तमान व्यवस्थाएं लागू रहेंगी ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975